निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 80/2021
दायरा दिनांकः—17.12.2021
निर्णय दिनांकः—24.12.24

उनवान

1. कल्याण सिंह आयु 62 वर्ष पुत्र रामरतन
2. लक्ष्मीनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र रामरतन
3.भंवरसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र रामरतन
4. गीता बाई आयु 57 वर्ष पुत्री रामरतन
5. रेखाबाई आयु 52 वर्ष पुत्री रामरतन
6. प्रेमबाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामरतन जातियान लोधा निवासीगण धींगाराडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बृजेश आयु 32 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति लुहार निवासी ग्राम पाली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश गालव — प्रार्थी
2. श्री मुकेश शर्मा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम धींगाराड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 71/69 में आराजी खसरा नंबर 26 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 81 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंरब 86 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 111/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 165 रकबा 01 बीघा 09 विस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता आठ रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा अवस्थित है, जो पैत्रक जायदाद है। जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रार्थीगण के पिता, पितामह तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। अप्रार्थी बृजेश की नियत में बदयान्ति आ गई और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 230 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा के आम रास्ता खसरा नंबर 208 के दिशा में जबरन मकान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बनाने की नियत से दिनांक 06.12.2021 को जे०सी०बी० मशीन ले जाकर चुपचाप गड्डे खोद दिए व दिनांक 07.12.2021 को निर्माण सामग्री रेत, गिट्टी व सीमेन्ट जाकर डाल दिया। जब प्रार्थीगण को पता चला और अप्रार्थी से जबरन कब्जा कर मकान नहीं बनाने का अनुरोध किया तो अप्रार्थी ने धमकी दी कि मैं यहां मकान हर हालत में बनवाउंगा। यदि तुमने रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा और मां–बहिन की फोस फोस गालियां दी। प्रार्थीगण ने थाने में जाकर दिनांक 07.12.2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रार्थीगण उक्त आराजी खसरा नंबर 230 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्त है। जिस पर अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करे व प्रार्थीगण को बेदखल करे। इस कारण अप्रार्थी नंबर 1 बृजेश को शाश्वतकाल के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा नहीं करने बाबत् पाबंद फरमाया जाना अति आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम धींगाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 नकल जमाबन्दी धींगाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 1 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम धींगाराडी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम धींगाराडी पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम धींगाराडी तहसील छबडा में स्थित है। जो पैत्रक आराजी है जिस पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 2.17 बीघा के आम रास्ता खसरा नम्बर 208 की दिशा में जबरन मकान बनाने पर आमादा है तथा जे.सी.बी से गड्डे खेद दिये है तथा रेत गिट्टी सीमेन्ट डाल दिये है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 230 का रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार को निर्माण करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल नही करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। यदि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा झुठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तहसीलदार छबडा द्वारा टीम गठीत कर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 230 की आराजी का सीमा ज्ञान किया गया। भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही चल रहा है प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 230 से लगे सिवायचक खसरा नम्बर 231 व खसरा नम्बर 232 की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जो गैर कानूनी है प्रार्थीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम धींगाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 में रामरतन पुत्र बलराम जाति लोधा सा0देह का नाम दर्ज होना पाया जाता है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 403 दिनांक 27.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

05.2019 विरासत से मृतक रामरतन के स्थान पर कल्याणसिंह, लक्ष्मीनारायण, भंवरसिंह पुत्र गीता बाई, रामभरोसी बाई, प्रेमबाई पुत्रियों का नाम खाता दर्ज हुआ का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम धींगाराडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 1 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 230 की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 208 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खाते की भूमि पर अतिक्रमण नही कर रखा है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा